न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 31 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
तेजराज पुत्र मीठालाल,जाति सुनार,निवासी देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर, दिनांक 30.6.2017(प्रकरण सं.30 / 2017)

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत्,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय — दिनांक 5.4.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौजा देबावास के खसरा नम्बर 1523 में धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् अपीलांट को अतिक्रमी मानकर नोटिस जारी किया , अपीलांट दिनांक 16.6.2017 को उपस्थित हुआ तथा साक्ष्य पेश करने हेतु अपीलांट को मौका दिया गया तथा दिनांक 30.6.2017 को उपस्थित होकर साक्ष्य पेश नही करने के कारण एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1523 पर अपीलांट का लम्बे समय से कब्जा है तथा ग्राम पंचायत से अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त कर नल व विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अपीलांट को दिनांक 23.9.2017 को सरपंच द्वारा बेदखल करने की धमकी दी गई, जिस पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट आहोर में नकल हेतु आवेदन किया जो नकले दिनांक 29.9.2017को प्राप्त होने पर अपील अन्दर ग्याद पेश है। अपील स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार आहोर को रिमाण्ड करावे। अपीलांट ने अपील में धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र, तथा फहरिस्त के साथ निर्णय आदि की प्रमाणित प्रति पेश की है। इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है।अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट को गौजा देबावास के खसरा नम्बर 1523 में अतिक्रमी मानकर तहसीलदार आहोर ने बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है, तहसीलदार आहोर ने साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर नही दिया तथा दिनांक 30.6.201का साक्ष्य सबूत बंद कर एकतरफा कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पर नल व विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तथा पुराना कब्जा है। अतः अपीलांट की अपील की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 30.6.2017 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलांट का मौजा देबावास के खसरा नम्बर 1523 रकबा 6.78 हेक्टर में से 126 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने से तहसीलदार आहोर द्वारा बाद सुनवाई के बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है, उक्त भूमि की किस्म बंजड(गोचर) होने से आदेश सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा संवत् 2074 में मौजा देबावास के खसरा नम्बर 1523 कुल रकबा 6.78 हेक्टर में से 126 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने से पटवारी हल्का देबावास की रिपोर्ट, जिसको भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई है, पेश पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर ने प्रकरण सं.30/2017 दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई हेतु दिनांक 16.6.2017,22.6.2017 व 30.6.2017 को साक्ष्य,सबूत का अवसर दिया लेकिन साक्ष्य,सबूत पेश नही करने से तथा भूमि की किस्म बंजड (गोचर) यानि सरकारी भूमि होने से दिनांक 30.6.2017 को तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 30.6.2017 को बेदखली व जुर्माना का आदेश सही पारित किया गया है।अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वार तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 30.6.2017 (प्रकरण सं. 30/2017) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd–
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 5.4.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd–
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर